न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–20 / 2007

आदेश

07-11-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। वादी सं0–2 तथा प्रतिवादी की ओर से हाजिरी है। वादी सं0–2 की ओर से दिनांक–21.08.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में आवेदन दिया गया तथा आवेदन को संचालित करते हुए वे अभिकथन करते हैं कि वादी सं0–1 नटवरलाल की मृत्यु दिनांक–24.06.2023 को हो चुकी है और वह अपने पीछे अपनी पत्नी सुनीता देवी को अपने विधिक वारिसान के रूप में छोड़ गए हैं। अतः मृतक वादी सं0–1 के नाम को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

वादी सं0–2 को सुना। प्रतिवादी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् वादी सं0–2 के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–21.08.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार वादी सं0–1 के स्थान पर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित कर पृष्ठांकित करें। वाद दिनांक–05.12.2023 वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी